न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 9/2016 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री विष्णु व्यास पुत्र श्री रामरूप शर्मा
विक्रेता मैसर्सः— व्यास एण्टरप्राइजेज, पंचायत समिति रोड, जिला दौसा।
2. श्री सतीश मोदी
मालिक मैसर्सः— श्री उमा पति एण्टरप्राइजेज, सुन्दर दास मार्ग, दौसा।
3. श्री रोशन लाल पुत्र श्री राधेश्याम
मालिक मैसर्सः— लकडा दाल एवं बेसन उत्पादन केन्द्र, ए—68 ए, रोड नं0 1 वीकेआई एरिया, सीकर रोड जयपुर।

— अभियुक्तगण—

जूर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 व 2 स्वयं उपस्थित।
: श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं0 3 उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांक 01.06.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 11.07.2015 को सायं 05:30 बजे मैसर्सः— व्यास एण्टरप्राइजेज, पंचायत समिति रोड, दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री विष्णु व्यास पुत्र श्री रामरूप शर्मा उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का विक्रेता एवं मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ का लाइसेन्स होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक कट्टे में 10 पोली पैक एक किग्रा वजन में पैक गेंहू दलिया (अरावली) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था में मिलावट का शक होने पर इनमे से नमूने की जांच हेतु 4 मूल पोली पैक गेंहू दलिया (अरावली) नमूने की जांच हेतु खरीदा। जिनकी कीमत 128 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

यह है कि चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा गेंहू दलिया (अरावली) की मूल पैक पैकिटो पर चिपकाकर पैकिटो को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेट कर पैकिटो पर

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1130 गोंद से चिपकाकर पैकिटो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटो को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर पैकिटो पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सीलबंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा स्वयं द्वारा दिनांक 13.07.2015 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहा जमा करवाये।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 13.07.2015 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 14.07.2015 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ गेंहू दलिया (अरावली) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./18'.7/एक्ट/2015/900 दिनांक 06.08.2015 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ गेंहू दलिया (अरावली) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्व प्रकरण में लगाये गये आरोपो को पढकर सुनाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ के नमूने के लेबल पर **RICH FIBRE** प्रिन्ट किया गया है किन्तु **FIBRE** की मात्रा अंकित नहीं की गयी है। बहस के दौरान अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 द्वारा निवेदन किया कि हमने उक्त खाद्य पदार्थ बिल नं0 254 दिनांक 10.7.2015 द्वारा श्री उमा पति एण्टरप्राइजेज सुन्दर दास मार्ग, दौसा से पैक खरीदा है एवं पैक ही बेचा है। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 2 द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ मैसर्स लकडा कम्पनी से बिल नं0 1591 दिनांक 1.6.2015 द्वारा क्रय किया गया था इसमे हमारी कोई गलती नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 3 द्वारा निवेदन किया गया कि खाद्य पदार्थ के नमूने के लेबल पर **FIBRE** की मात्रा अंकित कर सुधार कर लिया गया है। प्रकरण को ड्रोप फरमाये जाने की कृपा करे।

न्याय निणय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्र0 सं0 : 9/2016 एफ एस एस एक्ट

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1827/एक्ट/2015/900 दिनांक 06.08.2015 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ गेंहू दलिया (अरावली) का नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी सं0 3 द्वारा खाद्य पदार्थ गेंहू दलिया (अरावली) मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं0 3 श्री रोशन लाल पुत्र श्री राधेश्याम मालिक मैसर्सः– लकडा दाल एवं बेसन उत्पादन केन्द्र, ए–68 ए, रोड नं0 1 वीकेआई एरिया, सीकर रोड जयपुर पर 5000/–(अक्षरे पांच हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 01.06.2018 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/9477-81

दिनांकः– 01.06.2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री विष्णु व्यास पुत्र श्री रामरूप शर्मा
   विक्रेता मैसर्सः– व्यास एण्टरप्राइजेज, पंचायत समिति रोड, जिला दौसा।
4. श्री सतीश मोदी
   मालिक मैसर्सः– श्री उमा पति एण्टरप्राइजेज, सुन्दर दास मार्ग, दौसा।
5. श्री रोशन लाल पुत्र श्री राधेश्याम
   मालिक मैसर्सः– लकडा दाल एवं बेसन उत्पादन केन्द्र, ए–68 ए, रोड नं0 1 वीकेआई एरिया, सीकर रोड जयपुर।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official